आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित

06/08/19

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं०–52/2019

सहदेव वर्णवाल एवं अन्य। –बनाम– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अन्तर्गत मौजा–मुगमा, थाना नं०–69, खाता नं०–34 प्लॉट नं०–581, रकवा–2.21 डी० भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीयउच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र तथा उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि भूमि का बाजार दर के अनुसार राशि गणना कर भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही उक्त भूमि का कृषि दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि भूमि आवासीय एवं व्यवसायिक प्रकृति का है। मकान में Plumbing (Water Supply) का काम किया हुआ है, तथा प्रथम तल्ला में टाटा का चदरा सीट डालकर बडा सा लगभग 500 वर्गफीट में हॉल रूम बना हुआ है। आवेदक द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया कि भूमि का नियमानुसार गणना कर मुआवजा राशि का सही भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन०एच०ए०आई० को निदेश दिया जाता है कि जॉचोपरान्त भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन करते हुए यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) 6/8/19
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 6/8/19
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद

Scanned with CamScanner